

प्रार्थीगण  
अर्जुनदास, कपूरदास पुत्र  
देवीदास जातिगण वैष्णव  
साकिन बोया तहसील बाली

बनाम

अप्रार्थी  
तहसीलदार, बाली

प्रकरण संख्या :- 146/2021  
बाबत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

दिनांक : 22.10.2021

प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त प्रकरण कैम्प में प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नकल दी गई। अप्रार्थी की ओर से जवाब मय रिपोर्ट प्राप्त हुई।

प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बोया के खसरा नम्बर 840 कुल खसरा-01 कुल रकबा 1.10 हैक्टर स्थित है। जिसके प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की प्रति प्रस्तुत की। जिसमें प्रार्थीगण का त्रुटिपूर्ण नाम उदाराम पुत्र देवीदास तथा कपूराराम पुत्र देवीदास दर्ज हैं तथा अतः रेकर्ड को दुरुस्त करते हुए प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम अर्जुनदास पुत्र देवीदास तथा कपूरदास पुत्र देवीदास करवाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब मय पटवारी रिपोर्ट भूमिधारी की ओर से पेश किया एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित त्रुटी को स्वीकार किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व रिपोर्ट का अवलोकन किया। भूमिधारी के जवाब एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में दर्ज बतौर सह खातेदार संख्या 01 व 02 पर प्रार्थीगण का त्रुटिपूर्ण नाम उदाराम पुत्र देवीदास तथा कपूराराम पुत्र देवीदास दर्ज हैं, जबकि प्रार्थीगण का सही व वास्तविक नाम अर्जुनदास पुत्र देवीदास तथा कपूरदास पुत्र देवीदास प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, शपथ पत्र, पेन कार्ड व भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटो पहचान पत्र की प्रतियों के अनुसार है। जिस तथ्य को अप्रार्थी तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बोया व निरीक्षक भू0अ0 बाली ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्वीकार करते हुये सही नाम दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने की अनुशंसा की हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम ग्राम बोया के खसरा नम्बर 840 कुल खसरा-01 कुल रकबा 1.10 हैक्टर में दर्ज प्रार्थीगण के त्रुटिपूर्ण नाम उदाराम पुत्र देवीदास तथा कपूराराम पुत्र देवीदास को दुरुस्त करते हुए प्रार्थीगण का सही व वास्तविक नाम अर्जुनदास पुत्र देवीदास तथा कपूरदास पुत्र देवीदास दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। अप्रार्थी भूमिधारी आदेश की पालना तुरन्त कर राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद करे।

पत्रावली फौसल शुमार हो कर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।



आज दिनांक 22.10.2021 मजमें कैम्प बोया में पक्षकारों को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, बाली  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी, बाली  
उपखण्ड अधिकारी, बाली